

प्रेषक,

नीरा यादव  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शारान।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उ०प्र०।

पंचायती राज अनुभाग-3

25  
लखनऊ, दिनांक/अगस्त 2004

विषय - ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से विशेष प्रोत्साहन योजना की मार्ग निर्देशिका।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का क्रियान्वयन प्रारम्भ किया जा चुका है। कार्यक्रम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासनादेश सं० 3827/33-3-99-227/99 दिनांक 21.02.2000 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गये हैं। शासन द्वारा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान को गति प्रदान करने तथा ग्रामीण स्वच्छता की प्रोन्नति हेतु ग्राम पंचायतों के माध्यम से विशेष प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु ग्राम पंचायतों को व्यक्तिगत शौचालय के लाभार्थियों हेतु विशेष प्रोत्साहन धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दिशा निर्देश निर्गत किए जाते हैं :-

क. शौचालय की डिजाइन

- (i) योजना के अन्तर्गत रू० 1000 तक की लागत (बी.एल.सी.यू.) का एक गड़ढ़े वाला आफसेट पोरपलश वाटर सील. ग्रामीण पैन युक्त शौचालय का निर्माण किया जाएगा जिसमें 30% अर्थात् रू० 300 केन्द्रांश, 30% अर्थात् रू० 300 राज्यांश तथा 40% अर्थात् रू० 400 लाभार्थी अंश होगा। उक्त ईकाई लागत बिना सुपरस्ट्रक्चर के है जिसका डिजाइन संलग्न है तथा शासनादेश दि० 21.02.2000 में भी स्पष्ट किया गया है।
- (ii) उक्त कार्य पूर्ण होने के उपरान्त लाभार्थी द्वारा ईटों के सुपरस्ट्रक्चर का निर्माण कराया जाएगा जिसपर पत्थर की पटिया या एस्वेस्टस शीट की छत होगी। शौचालय में दरवाजे की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का प्रयोग कर लाभार्थी द्वारा स्वयं के संसाधनों से की जाएगी।
- (iii) शौचालयों के निर्माण में रुरल पैन का प्रयोग किया जाएगा ताकि पानी की खपत कम हो तथा सफाई कम से कम पानी में की जा सके।
- (iv) शौचालय के गड़ढ़े में ईटों की जालीदार चिनाई होगी तथा उसके ऊपर आर.सी.सी. के पिट कुब्र का प्रयोग किया जाएगा जिसका मानक विभाग द्वारा पूर्व से ही निर्धारित है।

- (v) प्रत्येक शौचालय में एक निरीक्षण कक्ष/जंक्शन चैम्बर की व्यवस्था आवश्यक होगी ताकि भविष्य में एक गड़ढ़ा भर जाने पर दूसरे गड़ढ़े का निर्माण लाभार्थी द्वारा स्वयं कराया जा सके।

ख. फंडिंग पैटर्न

प्रति शौचालय फंडिंग पैटर्न निम्नप्रकार होगा :-

	<u>बी.पी.एल. परिवार</u>	<u>ए.पी.एल. परिवार</u>
केन्द्रांश	रु0 300	-
राज्यांश	रु0 300	-
लाभार्थी अंश	रु0 400	रु0 400
ग्राम पंचायत द्वारा प्रोत्साहन धनराशि	रु0 900	रु0 1500
योग	रु0 1900	रु0 1900

ग. भुगतान प्रक्रिया

1. शौचालय निर्माण की समस्त धनराशि जिसमें केन्द्रांश, राज्यांश एवं ग्राम पंचायत प्रोत्साहन धनराशि सम्मिलित होगी, ~~जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा उपरोक्त ग्राम पंचायत के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।~~ शौचालय सेटों की धनराशि का भुगतान किसी भी दशा में जिला स्तर से पंचायत उद्योग/आर.एस.एम. या अन्य किसी संस्था को नहीं किया जाएगा। ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थी को शौचालय निर्माण हेतु सीधा भुगतान दो चरणों में किया जाएगा।
2. प्रथम चरण में लाभार्थी द्वारा बी.एल.सी.यू. अर्थात् कुर्सी स्तर तक एक आफ सेट गड़ढ़े वाला शौचालय (ईट की चिनाई युक्त) निर्माण कराने के उपरान्त रु0 1000/- का भुगतान किया जाएगा। भुगतान ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा तथा इस हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थी द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर ईकाई के निर्माण की सत्यापन रिपोर्ट निर्माण पूरा होने के दो दिन के अन्दर ग्राम पंचायत को प्रस्तुत की जाएगी। सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर तत्काल ग्राम प्रधान द्वारा भुगतान आदेश पारित कर लाभार्थी को धनराशि का भुगतान किया जाएगा।
3. द्वितीय चरण में लाभार्थी द्वारा सुपर स्ट्रक्चर एवं छत का निर्माण करा लेने पर उसे अवशेष धनराशि रु0 500 का भुगतान कर दिया जाएगा। इस हेतु भी उपरोक्तानुसार लाभार्थी द्वारा दिये गये आवेदन पत्र पर सत्यापन उपरान्त भुगतान की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
4. उपरोक्तानुसार प्रति शौचालय अधिकतम रु0 1500 की सहायता अनुमन्य होगी। शौचालय पूर्ण करने में यदि कोई अतिरिक्त धनराशि लगती है तो लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा।
5. भुगतान हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट एवं ग्राम प्रधान द्वारा पारित भुगतान आदेश ग्राम पंचायत स्तर पर अभिलेखों में सुलभित रखा जाएगा। कार्यक्रम से सम्बन्धित अभिलेखों के व्यवस्थित रखरखाव हेतु ग्राम पंचायत विकास अधिकारी उत्तरदायी होंगे।
6. यह स्पष्ट किया जाता है कि शौचालय निर्माण हेतु किसी भी प्रकार की अनियमितता एवं फर्जी भुगतान के लिए ग्राम पंचायत विकास अधिकारी एवं ग्राम प्रधान सीधे उत्तरदायी होंगे। साथ ही संबंधित सहायक विकास अधिकारी (पंचायत), खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज

अधिकारी भी पर्यवेक्षकीय दायित्वों का निर्वहन न करने के लिए उत्तरदायी होंगे तथा ऐसे मामलों में कठोर दंडात्मक कारवाई की जाएगी।

घ. ए.पी.एल. परिवारों को शौचालय  
प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत वी.पी.एल. के अतिरिक्त ए.पी.एल. परिवारों को भी आच्छादित किया जा सकेगा परन्तु ए.पी.एल. परिवारों हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान की मार्ग निर्देशिका के अनुरूप केन्द्रांश की धनराशि अनुमत्त नहीं होगी बल्कि पूरी धनराशि रु० 1500 ग्राम पंचायत द्वारा प्रोत्साहन के रूप में दिया जाएगा। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत केन्द्रांश की धनराशि का पूर्ण उपभोग समय से सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध केन्द्रांश के अनुपात में प्राथमिकता के आधार पर वी.पी.एल. परिवारों को आच्छादित किया जाएगा तथा ए.पी.एल. लाभार्थियों की संख्या कुल लक्ष्य के 10 प्रतिशत तक होगी।

ड. ग्राम पंचायतों का चयन

1. ग्राम पंचायतों के माध्यम से उक्तानुसार प्रोत्साहन योजना का लाभ देते समय जनपदवार सर्वप्रथम ऐसी ग्राम पंचायतों को लाभान्वित किया जाएगा जहां शौचालयों से आच्छादन का प्रतिशत सर्वाधिक हो। इस हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत किए गये बेस लाइन सर्वे के आधार पर जनपद की ग्राम पंचायतों का आच्छादन प्रतिशत के आधार पर वर्गीकरण किया जाएगा। इस प्रक्रिया से ग्राम पंचायतें शत प्रतिशत आच्छादन उपरान्त भारत सरकार की निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दावा कर सकेगी और उन्हें पुरस्कार स्वरूप रु० 2-4 लाख का अतिरिक्त संसाधन प्राप्त होगा जिससे विकास कार्य कराये जा सकेंगे। उक्त रणनीति से ग्रामीण समुदाय एवं ग्राम पंचायतों में प्रतिस्पर्धा भी पैदा होगी और शत प्रतिशत आच्छादन का मार्ग प्रशस्त होगा।
2. समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम यदि स्वच्छ शौचालय से आच्छादित नहीं हैं तो उन ग्रामों में प्रभावी सूचना शिक्षा एवं संचार (आई.ई.सी.) गतिविधियों द्वारा मांग का सृजन किया जाएगा तथा मांग के अनुरूप शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। समग्र ग्रामों को शौचालयों से शत प्रतिशत आच्छादित करने की रणनीति तैयार की जाएगी ताकि इन ग्रामों को भी निर्मल ग्राम पुरस्कार योजना अन्तर्गत पुरस्कृत कराया जा सके।

च. मिस्त्रियों का प्रशिक्षण

चूंकि कार्यक्रम के अन्तर्गत अत्यधिक शौचालयों का निर्माण किया जाना है अतः प्रत्येक विकास खंड के लिए प्रशिक्षित मिस्त्रियों की टीम तत्काल तैयार कर ली जाए। सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी. मद में प्रशिक्षण हेतु मात्राकृत धनराशि से तत्काल मिस्त्रियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रत्येक जनपद में आयोजित किये जाएं। यह कार्य जिला स्वच्छता मिशन के नियन्त्रण में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा सम्पन्न कराया जाएगा। यदि तकनीकी रूप से दोष पूर्ण शौचालयों का निर्माण अशिक्षित मिस्त्रियों से कराया जाता है तो इस हेतु जिला पंचायत राज अधिकारी उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक विकास खंड एवं ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों पर प्रशिक्षित मिस्त्रियों की सूची उपलब्ध रखी जाए।



छ. ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों का सुदृढीकरण  
सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ग्रामीण स्वच्छता सेवा केन्द्रों तथा उत्पादन केन्द्रों को भारत सरकार की मार्ग निर्देशिका के अनुरूप कार्यक्रम में मात्राकृत धनराशि से स्थापित किया जाएगा ताकि वैकल्पिक वितरण प्रणाली को सुदृढ करते हुए शौचालय निर्माण में प्रयुक्त होने वाली सामग्री यथा पैन, ट्रेप, पिट कवर की उपलब्धता उच्च गुणवत्ता के साथ बनी रहे।

ज. निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

1. शौचालय के निर्माण में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की जाएगी तथा प्रत्येक शौचालय की गुणवत्ता का प्रमाणपत्र संलग्न प्रारूप पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा दिया जाएगा। इस प्रमाणपत्र को तीन प्रतियों में तैयार किया जाएगा जिसकी एक-एक प्रति क्रमशः ग्राम पंचायत, खण्ड विकास अधिकारी एवं जिला पंचायत राज अधिकारी/ जिला स्वच्छता मिशन के कार्यालय में प्रस्तुत की जाएगी।
2. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्रों में से निम्नप्रकार निर्धारित प्रतिशत में शौचालयों का सत्यापन विभिन्न स्तर के अधिकारियों द्वारा रैंडम पद्धति के आधार पर किया जाएगा :-

(i) सहायक विकास अधिकारी (पंचायत)	50%
(ii) सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा०)	20%
(iii) खण्ड विकास अधिकारी	20%
(iv) जिला पंचायत राज अधिकारी	20%
(v) मंडलीय उपनिदेशक पंचायत	10%
(vi) मुख्य विकास अधिकारी	10%

3. मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी भी ग्रामों के भ्रमण के समय अन्य कार्यक्रमों के साथ शौचालयों का भी सत्यापन करेंगे।

झ. इन्दिरा आवास योजना

योजनान्तर्गत वर्ष 2004-05 में लगभग 225000 शौचालयों का निर्माण इन्दिरा आवासों में कराया जाएगा जिसके लिए ग्राम्य विकास विभाग नोडल विभाग है। इन्दिरा आवासों में निर्मित शौचालयों का उपयोग लाभार्थी द्वारा किया जाए इस हेतु सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत आई.ई.सी. गतिविधियों द्वारा उन्हें शौचालयों के प्रयोग एवं स्वच्छ व्यवहार हेतु प्रेरित किया जाएगा। जिला स्वच्छता समिति द्वारा इन्दिरा आवासों में निर्मित शौचालयों का भी सत्यापन कराया जाएगा ताकि उनकी गुणवत्ता एवं उपयोग का स्वच्छता के दृष्टिकोण से मूल्यांकन किया जा सके।

ट. लक्ष्य

यद्यपि वर्ष 2004-05 में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत लगभग 11 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाना है परन्तु माह दिसम्बर तक के लिए उपलब्ध आय-व्ययक के सापेक्ष 5 लाख 92 हजार शौचालयों का माहवार लक्ष्य संलग्न किया जा रहा है। जिला स्वच्छता समिति के अध्यक्ष/मुख्य विकास अधिकारी उक्तानुसार लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित कराएंगे तथा केन्द्रांश की अगली किश्त

का प्रस्ताव भी समयान्तर्गत पंचायती राज निदेशालय को उपलब्ध कराने हेतु उत्तरदायी होंगे चाकि भारत सरकार से अतिरिक्त धनराशि प्राप्त कर वर्ष में कम से कम 11 लाख शौचालयों का निर्माण कराया जा सके।

भवदीया,

नीरा यादव  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या : 2704(1)/33-3-2004 तददिनांक।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. समस्त अध्यक्ष जिला पंचायत, उ0प्र0।
2. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास/समाज कल्याण/ नियोजन, उ0प्र0 शासन।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक पंचायत, उ0प्र0।
8. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(अनीस अंसारी)  
प्रमुख सचिव

व्यक्तिगत शौचालय के निर्माण की गुणवत्ता एवं सत्यापन रिपोर्ट


ग्राम पंचायत \_\_\_\_\_ न्याय पंचायत \_\_\_\_\_  
 विकास खण्ड \_\_\_\_\_ जनपद \_\_\_\_\_  
 लाभार्थी का नाम \_\_\_\_\_ पिता/पति का नाम \_\_\_\_\_  
 शौचालय पूर्ण होने की तिथि \_\_\_\_\_ सत्यापन की तिथि \_\_\_\_\_

सत्यापन रिपोर्ट:-

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| 1. शौचालय निर्माण की गुणवत्ता  | अच्छी / साधारण / खराब |
| 2. शौचालय का इन्सपेक्शन/ जंक्शन चैम्बर तकनीकी रूप से सही बना है या नहीं    | हाँ / नहीं            |
| 3. शौचालय में एक गड़्ढा निर्धारित मानक एवं डिजाइन के अनुसार बना है या नहीं | हाँ / नहीं            |
| 4. गड़्ढे के अन्दर जाली दर धिनाई है या नहीं                                | हाँ / नहीं            |
| 5. गड़्ढे पर पिट कवर रखा है या नहीं  | हाँ / नहीं            |
| 6. शौचालय के फर्श की गुणवत्ता कैसी है                                      | अच्छी / साधारण / खराब |
| 7. शौचालय में लगे पैन को जोड़ने के बाद साफ किया गया है या नहीं             | हाँ / नहीं            |
| 8. प्रयुक्त पैन मानक डिजाइन के अनुरूप है या नहीं                           | हाँ / नहीं            |
| 9. शौचालय के प्रयोग से पहले उसकी सफाई हुई है या नहीं                       | हाँ / नहीं            |
| 10. शौचालय में कक्ष बना है या नहीं   | हाँ / नहीं            |
| 11. यदि कक्ष बना है तो उसकी ऊंचाई कितनी है                                 | हाँ / नहीं            |
| 12. शौचालय पर छत किसकी है  | _____                 |
| 13. लाभार्थी द्वारा दरवाजा लगाया है या नहीं                                | हाँ / नहीं            |

प्रमाणित किया जाता है कि मैं \_\_\_\_\_ ग्राम पंचायत \_\_\_\_\_ ने शौचालय का निरीक्षण किया है तथा शौचालय की गुणवत्ता मानक के अनुरूप पाई गई।

स्थान \_\_\_\_\_ हस्ताक्षर \_\_\_\_\_  
 दिनांक \_\_\_\_\_ नाम \_\_\_\_\_  
 पदनाम \_\_\_\_\_



गिबना सुपर स्ट्रक्चर के लागत

- i - ग्रेट-इंटे की जाकेटर चिनाई
- ii - ग्रेट कवर
- iii - स्क्विटिंग प्लेट फॉर्म
- iv - ड्रेप एवं चैन

Rs 330/-

Rs 160/-

Rs 360/-

Rs 150/-

योग Rs 1000/-

सुपर स्ट्रक्चर शीट/पत्थर की पोटिंग की हवा सोडित सुपर स्ट्रक्चर की लागत

Rs 900/-

पूर्व शोधनाम की लागत (A+B)

Rs 1900/-